म0प्र0 शासन
पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग, छिन्दवाड़ा

(1)–1:–एकीकृत पेंशन योजना (राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन एंव सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना) :–

पेंशन हेतु पात्रता :– इस योजना के अन्तर्गत पेंशन के लिये निम्न व्यक्ति पात्र होगें:–

(अ) निम्नाकित श्रेणी के निराश्रित व्यक्ति:–

1. 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध
2. 01.04.2002 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन विधवा /परित्यक्त महिलाओं को निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृत की जावेगी:–
   1– जिसकी आयु 18 वर्ष अथवा इससे अधिक हो । 2. –जिनके पास कोई भूमि न हो ।
   3– किसी प्रकार की कोई पेशन न मिल रही हो। 4– जिनके पास आमदनी का कोई साधन न हो।

6 वर्ष से अधिक आयु के विकलांग व्यक्ति :–

उपरोक्त में से 06 से 14 के विकलांगों को सहायता की पात्रता तभी होगी जब वे किसी स्कूल में भर्ती हो कर वहाॅ पढाई कर रहें हो।

(ब) गरीबी रेखा के नीचे परिवारों के 6 से 14 वर्ष के विकलॉग बच्वें जो स्कूल जाते है (भले ही वे निराश्रित न हो)

निराश्रित व्यक्तियों से अभिप्राय:–

निम्न व्यक्ति निराश्रित की श्रेणी में माने जायेगें।

1. निराश्रित हो अर्थात उसने अपनी जीविका अर्जित करने की तथा अपनी सम्भाल करने की क्षमता खो दी हो और उसके भरण पोषण के लिये उसे सहारा देने वाला कोई न हो ।
2. भूमिहीन होने के कारण अपनी जीविका अर्जित करने में असमर्थ हो तथा उसके भरण पोषण के लिये सहायता देने वाला कोई न हो ।
3. यदि उसके पुत्र /पौत्र भूमिहीन है,या उसके पास भूमि सम्पत्ति होते हुये भी जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त आमदनी न हो।

टीप :–ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राही को पेंशन ग्राम सभा के अनुमोदन उपरान्त संबंधित जनपद पंचायत द्वारा एंव नगरीय क्षेत्र के हितग्राहियों को पेंशन संबंधित नगरीय निकाय द्वारा स्वीकृत की जाती है। विधवा /परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन संबंधित जनपद पंचायत एंव नगरीय निकाय के माध्यम से प्रकरण प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा स्वीकृत किये जाते है।
दिनांक 01.04.2006 से वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के हितग्राहियों को 275/– प्रतिमाह पेंशन राशि देय है।

उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 की वित्तीय एंव भौतिक प्रगति प्रतिवेदन :– जून 2008 तक

क्र	योजना एवं कार्यक्रम का नाम	आलोच्य वर्ष में प्राप्तराशि	कुल राशि	व्यय राशि	बचत राशि	लाभावित हितग्राहियों की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सा.सु.पे. यो.शहरी	450.00	450.00	559.785	394.02	13132	कुल हित.
2	सा.सु.पे. यो.ग्रामीण	900.00	900.00	126.830	773.166	29287	79869
3.	इंदिरा गॉधी रा.वृ.पे.यो	.890.00	890.00	204.770	694.228	37037	

भारत सरकार की इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी –रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार मुख्यिा (स्त्री /पुरूष) की मृत्यु होने पर आश्रितों को एकमुश्त सहायता करना है।

परिवार सहायता योजना हेतु पात्रता :–
इस योजनान्तर्गत निम्न परिवार सहायता का पात्र होगा :–

1– परिवार गरीबी–रेखा के नीचे जीवन यापन करता हो 2. परिवार के ऐसे सदस्यों की मृत्यु हो जावें जिसकी कमाई से ही अधिकाशतः परिवार का गुजारा होता हो।
3– मृत्यु के दिनॉक को मृतक सदस्य की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहियें।
4– गरीबी –रेखा के नीचे रहने वाले परिवार का नाम गरीबी–रेखा के नीचे की सर्वे सूची में दर्ज हो
5– परिवार में पति/पत्नि/अवयस्क/बच्चे / अविवाहित पुत्रियों एवं आश्रित माता/पिता शमिल माने जावेंगें। अब परिवार में अविवाहित वयस्क एवं उसके अवयस्क भाई/बहिन भी सम्मिलित है।

उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 की वित्तीय एवं भोति प्रगति प्रतिवेदन :– जून 08 अंत तक

क्र.	योजना एवं कार्यक्रम का नाम	आलोच्य वर्ष में प्राप्तराशि	कुल राशि	व्यय राशि	बचत राशि	लाभावित हितग्राहियों की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
	राष्ट्रीय परि. सहा.	130.00	130.00	74.00	56.00	740	–

सहायता राशि :–

1.8.2008 के पश्चात मृत्यु होने पर प्राकृतिक/ अप्राकृतिक दोनों ही स्थिति में 10,000 (दस हजार रू0)की सहायता दी जाती है, स्वीकृती के अधिकार ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों को है।

टीप :– ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राही को राष्ट्रीय परिवार सहायता ग्राम सभा के अनुमोदन उपरान्त संबंधित जनपद पंचायत द्वारा एवं नगरीय क्षेत्र में संबंधित नगरीय निकायों द्वारा प्रकरण स्वीकृत किया जाता है।

(1) शारीरिक रूप से विकलॉग व्यक्तियों को विशेष साधन/ उपकरण की योजना :–

अंधे/गूगे/बहरे और विकलॉग व्यक्तियों को शारीरिक दोष दूर करने के लिये विशेष साधन /उपकरण आदि प्रदाय किये जाते है। मेडीकल बोर्ड द्वारा विकलॉगता का प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य है। छात्रों को 06 से 25 वर्ष अन्य व्यक्तियों को लिये 16 से 55 वर्ष एवं मासिक आय 2000/– रू0 से अधिक न हो।

टीप :– विकलॉग का प्रतिशत 40 % से अधिक होना चाहियें।

उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन जून 2008 अंत

क्र.	योजना एवं कार्यक्रम का नाम	आलोच्य वर्ष में प्राप्तराशि	कुल राशि	व्यय राशि	बचत राशि	लाभावित हितग्राहियों की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
	कृत्रिम अंग उपकरण	आवटन अप्राप्त	–	–	–	–	–

विकलॉग छात्र/छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति की दर निम्नानुसार है :–

म0प्र0 शासन सामाजिक न्याय ,विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमॉक एफ 3–129/2007/26–2 दिनॉक 8 फरवरी 2008 के अनुसार निःशक्त छात्रवृत्ति की दरों का पुनरीक्षण निम्नानुसार किया गया हैः–

	बालक (प्रतिमाह)	बालिका (प्रतिमाह)
प्राथमिक स्तर	25/–	–'– 35/–
माध्यमिक स्तर	30/–	–'–40/–
उच्चतर माध्यमिक		
(अ) सामान्य/अ0पि0व0	110/–	–'– 120 /–
(ब) अ0जा0/अ0ज0जा0	60 /–	–'– 60 /–
स्नातक स्तर		
(अ) सामान्य /अ0पि0व0	250 /–	–'– 250 /–

(ब) अ0जा0/अ0ज0जा0	65 /–	–'– 65 /–
स्नातकोत्तर स्तर		
(अ) सामान्य /अ0पि0 व0	300 /–	–'– 300/–
(ब) अ0जा0 /अ0ज0जा0	60 /'	–'– 60 /–
तकनीकी स्तर		
(अ) सामान्य /अ0पि0 व0	250 /–	–'– 250/–
(ब) अ0जा0 /अ0ज0जा0	65 /'	–'– 65 /–
डिग्री /डिप्लोमा	170 /–	–'– 170 /–

टीप :– 1– अ0जा0 /अ0ज0जा0 विभाग द्वारा प्रदाय की जा रही छात्रवृत्ति के अतिरिक्त ,इस वर्ग के छात्र /छात्रओं को उपरोक्त र्न्शये अनुसार निःशक्त छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

2– ग्रामीण क्षेत्र के छात्र/छात्रओं को छात्रवृत्ति संबंधित जनपद पंचायत द्वारा एवं नगरीय क्षेत्र के छात्र/छात्रओं को जिला कर्यालय पंचायत एवं सामाजिक न्याय द्वारा स्वीकृत की जाती है।

उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.योजना एवं कार्यक्रम का नाम	आलोच्य वर्ष में प्राप्तराशि	कुल राशि	व्यय राशि	बचत राशि	लाभावित हितग्राहियों की संख्या	रिमार्क
1 2	3	4	5	6	7	8
1–निःशक्त छात्रवृत्ति	3.20	3.20	–	3.20	–	–

विकलॉग कल्याण के क्षेत्र में छिंदवाडा में स्थित अशासकीय संस्था :–

1– दिशा निःशक्त तकनीकी विद्यालय , धरम टेकडी खापाभाट छिंदवाडा

मुख्य मुत्री कन्यादान योजना :–

दीनदयाल अन्त्योदय मिशन के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निराश्रित परिवार की कन्या /विधवा /परित्यक्ता के सामूहिक विवाह के लिए प्रति आवेदक रूपये पॉच हजार गृहस्थी हेतु एवं एक हजार प्रति आवेदक के मान से सामूहिक विवाह के व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

(अ) म.प्र. की निवासी हो एवं परिवार म.प्र. में निवासरत हो।

(ब) निराश्रित एवं निर्धन परिवार की कन्या /विधवा /परित्यक्ता ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो ।
वित्तीय वर्ष 2008–09 में माह जून 08 अंत तक 378 कन्याओं को राशि 22,66,000 /– लाभविन्त किया गया है।

वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन :–
30 जून 2008 की स्थिति

क्र.योजना एवं कार्यक्रम का नाम	आलोच्य वर्ष में प्राप्तराशि	कुल राशि	व्यय राशि	बचत राशि	लाभावित हितग्राहियों की संख्या	रिमार्क
1 2	3	4	5	6	7	8
1 सा.सु.पे. यो.शहरी	450.00	450.00	559.785	394.02	13132	कुल हित.
2 सा.सु.पे. यो.ग्रामीण	900.00	900.00	126.830	773.166	29287	79869
3. इंदिरा गॉधी रा.वृ.पे.यो.	890.00	890.00	204.770	694.228	37450	
4. रा.परि.सहा.यो.	130.00	130.00	74.00	56.00	740	
5. निःश.छात्रवृति	3.20	3.20	–	3.20	–	

6. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	62.00	62.00	22.68	39.32	378

. . . .

उप संचालक
पंचायत एवं सामाजिक न्याय
छिंदवाडा

(Source :Dy. Director Panchayat & Social Welfare , Chhindwara)

******* Last update 07/07/2008 *******